लिए 110 रुपए और उस के बाद के वर्षों के लिए 120 रुपए प्रति बी० एच० पी० होगी। अनाज की भूसी अलग करने, गन्ना पेरने, कुट्टी काटने आदि जैसे कृषि कार्यों के लिए भी इसी रियायती दर पर बिजली सप्लाई की जाएगी।

नई दिल्ली में योगाश्रम तथा फीरोज गांधी स्मारक को भूमि का आबंटन

87. **श्री प्रकाश वीर शास्त्री :**
श्री शिवकुमार शास्त्री :

क्या निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नई दिल्ली में गोल डाकखाने के निकट योगाश्रम तथा फीरोज गांधी स्मारक को भूमि देने के बारे में अब तक क्या प्रगति हुई है;

(ख) क्या यह सच है कि संवैधानिक तथा संसदीय अध्ययन संस्थान ने भी स्वयं अपने भवन के निर्माण के लिए सरकार से भूमि मांगी है; और

(ग) यदि हां, तो संसद भवन के निकट इस संस्थान को भूमि न दे कर अन्य संस्थानों को सरकार द्वारा भूमि आवंटित किए जाने के क्या कारण हैं।

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) (i) गोल पोस्ट आफिस के निकट चमरी नं० 1 के अधीन भूमि को योगाश्रम को आवंटित करने का पूर्व-निर्णय रद्द कर दिया गया है। आस-पास ही वैकल्पिक आवंटन का प्रश्न विचाराधीन है। (ii) फिरोज स्मारक समिति ने कार्यालय भवन, जिसमें सम्मेलन कक्ष (मीटिंग हाल), पुस्तकालय तथा अनुसन्धान अधिकारियों, आगन्तुक पत्रकारों एवं संसद् सदस्यों के लिए कक्ष होंगे, बनाने के लिए आवेदन किया है। चेम्सफोर्ड क्लब के सामने संस्था क्षेत्र में (इन्स्टीट्यूशनल एरिया) भूमि का एक प्लाट उन्हें आवंटित करने का प्रस्ताव है। क्षेत्र का अभी विकास होना है तथा ले-आउट अनुमोदित होना है।

(ख) संवैधानिक तथा संसदीय अध्ययन संस्थान ने संसद भवन के निकट अथवा निम्नांकित क्षेत्रों में से किसी एक में भूमि के एक प्लाट को आवंटित करने के लिए आवेदन किया है :—

गोल पोस्ट आफिस, रफी मार्ग, लोदी रोड, राउज एवेन्यू, डिप्लोमेटिक एनक्लेव।

(ग) संस्थान को प्लाट आवंटित करने के विषय में अभी तक कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है। संसद भवन के निकट भूमि के लिए उनके अनुरोध पर विचार किया जा रहा है।

दिल्ली में तपेदिक के मामले

88. **श्री प्रकाशवीर शास्त्री :**
श्री शिव कुमार शास्त्री :
श्री ए० श्रीधरन :
श्री क० लकप्पा :
श्री यशपाल सिंह :

क्या स्वास्थ्य, परिवार नियोजन एवं नगर विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में तपेदिक के रोगियों की संख्या निरन्तर बढ़ती जा रही है,

(ख) क्या यह भी सच है कि तपेदिक के इस बढ़ते हुए प्रकोप का सामना करने के लिए दिल्ली के वर्तमान दो अस्पताल काफी नहीं है; और

(ग) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में कोई अन्य योजना सरकार के विचाराधीन है?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ब० सू०

मूर्ति) : (क) दिल्ली में क्षय रोग की घटनाओं के सम्बन्ध में 1958 से कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है। जनसंख्या के अनुपात की दृष्टि से क्षय-रोगग्रस्त पाए गए व्यक्तियों की संख्या में वर्षवार कोई उल्लेखनीय परिवर्तन नहीं हुआ प्रतीत होता।

(ख) नौ क्षय क्लीनिकों की सहायता से दिल्ली में क्षयरोगियों का उपचार उनके घर पर ही करने पर बल दिया जाता है। वर्तमान 1506 क्षय रोगी पलंग जोकि दिल्ली के विभिन्न अस्पतालों में उपलब्ध हैं, गृहोपचार योजना के पूरक का काम करते हैं और उन्हें पर्याप्त समझा जाता है।

(ग) चौथी योजना में क्षय रोगियों के पलंगों की संख्या में वृद्धि करने तथा एक और क्षय रोग क्लीनिक खोलने के बारे में दिल्ली नगर निगम की एक योजना है।

बाढ़ें

89. **श्री नारायण स्वरूप शर्मा :**
श्री जगन्नाथ राव जोशी :
श्री रणजीत सिंह :
श्री अटल बिहारी वाजपेयी :

क्या सिंचाई और विद्युत् मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले 20 वर्षों में सरकार द्वारा बाढ़ की समस्या का स्थायी हल करने के लिए किय गए उपायों के परिणामस्वरूप किन-किन स्थानों में बाढ़ की समस्या स्थायी रूप से हल हो गई है; और

(ख) इन उपायों को दृष्टि में रखते हुए चौथी पंच-वर्षीय योजना काल में किन-किन स्थानों पर यह समस्या स्थायी रूप से हल हो जाने की सम्भावना है ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) प्रत्येक समय और प्रत्येक स्थान पर बाढ़ों से सुरक्षा प्रदान करना न तो तकनीकी तौर पर संभव है, और न मितव्ययिता के आधार पर। इसलिए बाढ़ सुरक्षा उपायों का उद्देश्य यह होता है कि जिन क्षेत्रों को सुरक्षा की आवश्यकता है उनके महत्व को ध्यान में रखते हुए, बाढ़ों के कारण होने वाली क्षति को उचित किफायत के साथ कम कर दिया जाए। राष्ट्रीय बाढ़ नियन्त्रण कार्यक्रम 1954 में प्रारम्भ किया गया था, तब से अब तक 60 लाख हैक्टेयर क्षेत्र को, जो बाढ़ से प्रभावित होने वाले क्षेत्र का 30 प्रतिशत है, बाढ़ों से उचित सुरक्षा प्रदान कर दी गई है। जिन बाढ़ नियन्त्रण कार्यों को हाथ में लिया गया है, उनमें 7400 किलोमीटर के नए तटबन्धों, 8300 किलोमीटर की जल-निकास नालियों, 150 नगर-सुरक्षा कार्यों का निर्माण और 4500 बाढ़ग्रस्त ग्रामों को बाढ़-स्तर से ऊपर उठाना, सम्मिलित हैं, और इन पर 180 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं।

चौथी योजना के अन्तर्गत बाढ़-नियन्त्रण के लिए राज्यों के प्रस्तावों को अभी अन्तिम रूप देना शेष है।

उत्तर प्रदेश में कृषि प्रयोजनों के लिये बिजली की दरों में वृद्धि

90. **श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :**
श्री टी० पी० शाह :
श्री रामस्वरूप विद्यार्थी :
श्री रामसिंह आयरवाल :
श्री भारत सिंह चौहान :

क्या सिंचाई और विद्युत् मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश विद्युत बोर्ड ने कृषि प्रयोजनों के लिए बिजली की दरों में 1 जुलाई, 1968 से वृद्धि कर दी है;

(ख) क्या यह केन्द्रीय सरकार के इस निदेश के विरुद्ध है कि किसानों के लिए बिजली